SP-2
ई–मेल / डाक

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांक: 4(3)(3) / स्वीप / निर्वा / 2013 / 6491

जयपुर, दिनांक: 22 अक्टूबर, 2013

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय : विधानसभा आम चुनाव 2013 – इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन की कार्यप्रणाली एवं मतदान की प्रकिया की आम मतदाताओं को जानकारी उपलब्ध कराने के विषय में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत जैसा कि आपको विदित है कि इस वर्ष विधानसभा आम चुनाव के लिए दिनांक 1 दिसम्बर, 2013 को राज्य के सभी 200 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में ई.वी.एम. के माध्यम से मतदान किया जाएगा।

2 राज्य में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग वर्ष 1998 के प्रारम्भ किया गया था तथा इसके पश्चात् हाने वाले विधानसभा आम चुनाव 2003, 2008 एवं लोकसभा आम चुनाव 2004, 2009 तथा अन्य उपचुनावों में भी मतदान ई.वी.एम के माध्यम से किया गया है।

3. भारत निर्वाचन आयोग ने ई.वी.एम की कार्य प्रणाली एवं इसके द्वारा मतदान प्रकिया की जानकारी आम मतदाताओं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं को देने एवं जागरूकता उत्पन्न करने हेतु एक चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा आम चुनाव से पूर्व **"जागरूकता अभियान"** चलाने के निर्देश दिये है। इस विषय में जागरूकता से संबंधित मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार से है ।

3.1 आयोग का यह मत है कि ऐसे मतदाता जिनके द्वारा आम चुनाव / उप चुनाव के दौरान ई.वी.एम. के माध्यम से मतदान किया गया है को भी दो चुनावों के मध्य लम्बी अवधि व्यतीत हो जाने के बाद ई.वी.एम. की कार्य प्रणाली की जानकारी देना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त दो आम चुनाव के मध्य पॉच वर्षो की अवधि में 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों को मतदाता के रूप में पंजीकृत किया गया है इसलिए इन्हें भी ई.वी.एम. द्वारा मतदान करने की प्रकिया की जानकारी दी जानी है।

3.2 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पत्र क्रमांक 576/3/2013/एस.डी.आर./ दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 जिसकी प्रति आपको प्रेषित की गई है से अवगत कराया है कि रिट पीटीशन (सी) संख्या 161/2004, पीपूल्स यूनियन फोर सिविल लिर्बटीज वगैराह बनाम भारती संघ अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 27 सितम्बर, 2013 में निर्देश दिए है कि "भारत निर्वाचन आयोग ईवीएम में प्रयुक्त किए जाने वाले बैलट पेपर में **"उपरोक्त में से कोई नहीं"** विकल्प की व्यवस्था सुनिश्चित करें जिससे कि यदि कोई मतदाता किसी उम्मीदवार को अपना मत नहीं देना चाहे तो मतदान की गोपनीयता बनाएं रखते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय के क्रम में आयोग द्वारा ईवीएम की बैलट यूनिट (जिसमें टेन्डर बैलट पेपर भी सम्मिलित है) पर लगाए जाने वाले मतपत्र एवं पोस्टल बैलट पेपर के प्रारूप में भी संशोधन किया है जो इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किए जा रहे है।

3.3 आगामी विधानसभा आम चुनाव एवं आगे होने वाले विभिन्न चुनावों में ईवीएम में प्रयुक्त होने वाले बैलट पेपर पर यथा स्थिति **"उपरोक्त में से कोई नहीं"** विकल्प का प्रावधान होगा। अतः यदि किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 10 उम्मीदवार है तो मतपत्र में 11वें पैनल **"उपरोक्त में से कोई नहीं"** का होगा। यदि उम्मीदवारों की संख्या 16 है तो ऐसी स्थिति में प्रथम बैलट यूनिट के साथ दूसरी बैलट यूनिट लगायी जाएगी तथा मतपत्र में 17 वें स्थान पर उक्तानुसार प्रावधान किया जाएगा तथा द्वितीय बैलट यूनिट में उक्त प्रावधान सबसे उपर मतपत्र में प्रदर्शित हेगा। दोनों ही स्थिति में बैलट यूनिट के मतदान डालने के लिए नीला बटन खुला रखना होगा।

3.4 बैलट पेपर के संलग्न नमूने के अनुसार " मतपत्र में " **"उपरोक्त में से कोई नहीं"** के पैनल का साईज व भाषा उम्मीदवारों के लिए निर्धारित पैनल के अनुसार ही होगी। चूंकि प्रथम बार राज्य में विधान सभा आम चुनाव, 2013 के दौरान उक्त नए प्रावधान लागू किए जा रहे है इसलिए इस विषय में आम मतदाताओं को जागरूक किया जाना है। चूकि मतपत्र में उम्मीदवारों की भांति चुनाव चिन्ह का प्रावधान " **उपरोक्त में से कोई नहीं**" के लिए नहीं है इसलिए अशिक्षित मतदाताओं को तद्नुसार कार्य योजना बनाकर नये प्रावधान की जानकारी दी जानी होगी। **अतः**

उपरोक्त वस्तुस्थिति दृष्टिगत रखते हुए "प्रस्तावित जागरूकता अभियान के विषय में दिशा–निर्देश आगे प्रस्तुत किए जा रहे है।

4. आयोग के निर्देशानुसार आम मतदाताओं को विशेषकर ग्रामीण मतदाताओं, नए पंजीकृत मतदाताओं एवं नए प्रावधानों की जानकारी सभी मतदातओं को देने हेतु एक विशेष **"जागरूकता अभियान"** चलाया जाना हैं। इस अभियान के अन्तर्गत जहाँ ई.वी.एम. का प्रायोगिक प्रदर्शन किया जाएगा वहीं दूसरी और आम मतदाता स्वयं भी मौके पर वास्तविक रूप में अपना मत दर्ज कर मतदान तिथि से पूर्व "मतदान प्रक्रिया का" व्यवाहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इस जागरूकता अभियान के विषय में निम्न प्रकार से कार्यवाही की जानी है।

4.1 आगामी विधानसभा आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिला एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर समुचित संख्या में मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया गया है। इनके द्वारा मतदान कर्मियों एवं ई.वी.एम. के प्रचार प्रसार से संबंधित नियुक्त किये गये कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी जिले में उपलब्ध ऐसे सभी प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स का एक लघु प्रशिक्षण यथाशीघ्र जिला स्तर पर दिनांक **21 अक्टूबर, 2013** के तुरन्त बाद आयोजित करवाएगे। इस प्रशिक्षण सत्र में जिले की प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से समुचित संख्या में संदर्भ अधिकारी यथा सहायक रिटर्निंग अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों को बुलाकर ई.वी.एम. की कार्य प्रणाली की जानकारी एवं प्रभावी रूप से प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान करेगें। **उक्त कार्य 28 अक्टूबर, 2013 तक आवश्यक रूप से पूर्व कर लिया जाए।**

4.2 उक्त अधिकारीगण जिला स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् अपने–अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कम से कम 5–6 संदर्भ अधिकारी (ट्रेनर्स) तैयार करेगें। सामान्यता भू–अभिलेख निरीक्षक एवं इनके समकक्ष कर्मचारियों को इस कार्य हेतु नियुक्त किया जा सकता हैं। इन प्रशिक्षकों को ई.वी.एम का गहनता से प्रशिक्षण दिया जाए। **उक्त कार्य 01 नवम्बर, 2013 तक पूर्ण कर लिया जाए।**

4.3 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार प्रशिक्षित उक्त कर्मचारियो को **"जागरूकता अभियान"** के अन्तर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के **"संदर्भ अधिकारी"** के रूप में नियुक्त किया जायेगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में नियुक्त किये जाने वाले उक्त **"संदर्भ अधिकारी"** की एक डायरेक्टरी संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी एवं जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संधारित की जायेगी। जिला निर्वाचन

अधिकारी इन **"संदर्भ अधिकारियों"** को ट्रेनिंग हेतु ई.वी.एम. ट्रेकिंग सोफ्टवेयर से पृथक की गई ई.वी.एम संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिर्टनिगं अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करवाएगें।

4.4 उक्त "**संदर्भ अधिकारी**" विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मुख्यालय पर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिर्टनिंग आफिसर की देख–रेख में 6 नवम्बर, 2013 से पूर्व मतदान केन्द्रवार के लिए नियुक्त बीएलओ को ई.वी.एम. की कार्यप्रणाली एवं इससे मतदान करने की प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध करायेगें तथा उन्हें ई.वी.एम का प्रायोगकि प्रशिक्षण भी देगें। इस दौरान **"उपरोक्त में से कोई नहीं"** प्रावधान के विषय में भी बताया जाएगा।

4.5 **"संदर्भ अधिकारियों"** द्वारा बूथ लेवल अधिकारी को प्रशिक्षित करने के बाद मतदान केन्द्रवार ई.वी.एम. की जानकारी प्रदान करने हेतु यथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वार्डवार स्थापित मतदान केन्द्रों पर ई.वी.एम का प्रयोगिक प्रदर्शन किया जायेगा तथा इसकी कार्यप्रणाली की जानकारी दी जायेगी। उक्त कार्य **6 नवम्बर, 2013 से 22 नवम्बर, 2013** के मध्य किया जाएगा। **इस विषय में परिशिष्ठ–1** अवलोकनयी है जिसमें मतदान केन्द्रवार चक्रों का निर्धारण करते हुए कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर दो दिन के लिए ई.वी.एम. का प्रायोगिक प्रर्दशन किया जाएगा। "**संदर्भ अधिकारी**" एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी/ सहायक रिटर्निंग अधिकारी संयुक्त रूप से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चलने वाले जागरूकता अभियान हेतु कार्यक्रम निर्धारित करेगें, जिसमें कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सभी मतदाता केन्द्रों के अन्तर्गत इनमें आने वाले ग्राम/ढाणियों को सम्मिलित किये जा सकें।

4.6 "संदर्भ अधिकारी" मतदान केन्द्रवार आयोजित किये जाने वाले इस **"जागरूकता अभियान"** के दौरान यह सुनिश्चित करेगें कि मतदान केन्द्र के पोलिंग एरिया में सम्मिलित सभी क्षेत्रों के मतदाताओं को उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी मिल जाए। इस विषय में स्थानीय स्तर पर सरपंच/वार्डपंच आदि से सम्पर्क कर लिया जाए तथा मतदान केन्द्रवार लगने वाले शिविरों की तिथियों के विषय में जानकारी उपलब्ध करवायी जाए। अभियान से पूर्व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी आयोजित किये जाने वाले शिविरों के विषय में प्रेस नोट एवं पेम्पलेट आदि छपवाकर इनकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों को उपलब्ध करायेगें। **यह**

उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा ई.वी.एम. से संबंधित पेम्पलेट्स एवं पोस्टर मुद्रित करवाकर इस माह के अन्त तक सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को उपलब्ध करवाएं जा रहे है।

4.7 यदि **"संदर्भ अधिकारी"** यह उचित समझते है कि मतदान केन्द्रों के अतिरिक्त ग्राम विशेष में कोई ऐसा सार्वजनिक स्थान है जहॉ लोगों की आवाजाही अधिक रहती है तो वहॉ भी ई.वी.एम का प्रदर्शन करवा सकते है। यदि किसी ढाणी विशेष से ग्रामवासियों द्वारा यह मॉग आती है कि ई.वी.एम की प्रक्रिया की जानकारी ढाणी में आकर दी जाए तो तद्नुसार आवश्यक व्यवस्था की जाए।

4.8 निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिस मतदान केन्द्र पर ई.वी.एम का प्रदर्शन किया जायेगा वहॉ पर बूथ लेवल अधिकारी द्वारा सर्वप्रथम ई.वी.एम से मतदान करने की प्रक्रिया की जानकारी दी जायेगी। उपस्थित जनसमूह में किसी प्रकार की शंका हो या उनसे प्रश्न पूछे जाते है तो उनका निराकरण किया जायेगा। इसके पश्चात् उपस्थित लोगों से आग्रह किया जायेगा कि वह व्यक्तिगत रूप से ई.वी.एम को चलाकर मतदान कर सकते हैं।

4.9 रिटर्निंग अधिकारी उक्त जागरूकता अभियान के दौरान ग्रामीण स्तर पर कार्यरत महिला कर्मचारी यथा ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता, साथिनें, राष्ट्रीय साक्षरता प्राधिकरण के प्रेरक आदि का सहयोग प्राप्त कर सकते है जिससे कि इनके द्वारा विशेष रूप से ग्रामीण महिला मतदाताओं को ई.वी.एम. के विषय में सुविधानुसार जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया जा सकें।

4.10 जैसा कि पैरा 3 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही में **"उपरोक्त में से कोई नहीं"** विकल्प का प्रावधान का मतपत्र में किया है के विषय में भी व्यापक जानकारी आम नागरिकों को उपलब्ध करवायी जाए। इस विष में उन्हें यह स्पष्ट रूप से बताया जाए कि किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में यदि उम्मीदवारों की संख्या 8 है तो 9 वें स्थान पर **"उपरोक्त में से कोई नहीं"** के विकल्प का प्रावधान रहेगा। अतः वह इस विकल्प का उपयोग करना चाहते है तो इसके सामने के नीले बटन को दबाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते है। यदि किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 16 उम्मीदवार है तो द्वितीय बैलट यूनिट में प्रथम नीले बटन को दबाकर अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकते है।

4.11 चूंकि **"उपरोक्त में से कोई नहीं"** प्रावधान के अन्तर्गत इसके साथ किसी प्रकार का प्रतीक चिन्ह मुद्रित नहीं होगा, इसलिए अशिक्षित व कम पढ़े लिखे मतदाताओं को यह बताया जाए कि यदि उन्हें कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है तो वह बैलट यूनिट पर अंतिम नीला बटन दबाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते है।

4.12 यदि किसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 16 उम्मीदवार होने के कारण दो बैलट यूनिट प्रयुक्त में ली जा रही है तो उन्हें यह भी बताया जाए कि मतदान केन्द्र में वोटिंग कमपार्टमेन्ट में दोनों बैलट यूनिट एक के बाद एक रखी होगी। इसलिए वह नीला बटन दबाने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि उसकी पसंद के उम्मीदवार का बटन प्रथम अथवा द्वितीय बैलट यूनिटों में से किस पर उपलब्ध है तथा तद्नुसार ही नीला बटन दबाए।

4.13 विभाग द्वारा ई.वी.एम. से संबंधित लघु एवं अतिलघु फिल्म भी तैयार कराकर सभी जिलों में उपलब्ध करवायी गयी है। नये प्रावधान के अनुसार उक्त फिल्मों की विभाग स्तर पर एडिटिंग करवायी जा रही है तथा संशोधित फिल्मों की सोफ्ट कॉपी सी.डी. में यथा शीघ्र आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। प्रशिक्षण सत्रों के दौरान यथा स्थिति इन फिल्मों का भी प्रदर्शन किया जाए।

5. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में जागरूकता अभियान आयोजित होने के पश्चात् सभी "संदर्भ अधिकारी" द्वारा इस पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ठ–2 के अनुसार एक प्रमाण–पत्र संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे जिसमें उनके द्वारा प्रशिण हेतु आवंटित मतदान केन्द्र का विवरण देते हुए यह प्रमाणित किया जाएगा कि उनके द्वारा ई.वी.एम की कार्यप्रणाली एवं मतदान करने की प्रक्रिया की जानकारी सफलतापूर्वक दी गयी है।

5.1 सभी "संदर्भ अधिकारी" उक्त प्रमाण–पत्र अपने–अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत करेगें। रिटर्निंग अधिकारी उक्त प्रमाण–पत्र के आधार पर एक प्रमाण–पत्र संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगें जिससे उनके द्वारा यह प्रमाणित किया जाएगा कि उनके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में आम नागरिकों को ई.वी.एम की कार्यप्रणाली की विस्तृत रूप से जानकारी उपलब्ध करायी गयी है। संबंधित रिटर्निंग अधिकारी उक्त प्रमाण–पत्र देने से पूर्व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थापित दुर्गम ढाणी एवं ग्रामों में व्यक्तिगत रूप से भ्रमण करेगें तथा आम नागरिकों से चर्चा कर यह सुनिश्चित करेगें कि वह ई.वी.एम की कार्यप्रणाली एवं मतदान करने के प्रक्रिया की वास्तविक जानकारी मतदाताओं को हो

गयी है। यदि वह महसूस करते है कि किसी ग्राम विशेष में मतदाता अभी भी ई.वी.एम. की कार्यप्रणाली से अनभिज्ञ है तो वह पुनः ऐसे ग्रामों में शिविर आयोजित करेगे। इस विषय में उनके द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में नियुक्त किए गये सेक्टर अधिकारियों से भी फीडबैक प्राप्त किया जाए।

5.2 जिला निर्वाचन अधिकारी सभी विधानसभ निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों से उक्त प्रमाण–पत्र प्राप्त कर अपने जिले से संबंधित एक प्रमाण–पत्र मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजेगें। जिला निर्वाचन अधिकारी उक्त प्रमाण–पत्र को भेजने से पूर्व अपने स्तर पर व्यक्तिगत रूप से यह भी सुनिश्चित करेगें कि उनके जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में आम नागरिकों को ई.वी.एम की कार्यप्रणाली एवं नए प्रावधान की जानकारी उपलब्ध करायी गयी है।

6. **अन्य एजेन्सियो के माध्यम से प्रचार–प्रसारः**– आम मतदाताओं को ई.वी.एम की कार्यप्रणाली एवं मतदान प्रक्रिया की प्रायेगिक ट्रेनिंग देने हेतु उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य में उपलब्ध ऐसी ऐजिन्सयॉ जिनके द्वारा ग्रामीण स्तर पर राज्य सरकार/भारत सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाता है, का सहयोग लेते हुए भी प्रचार प्रसार संबंधी कार्य किया जाए। जिला स्तर पर साक्षरता प्राधिकरण, प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा तथा कई अन्य विभागों के माध्यमें से चलने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने हेतु गठित दलों द्वारा भी ई.वी.एम की कार्यप्रणाली की जानकारी चलचित्रों का प्रदर्शन कर, पेम्पलेट एवं पोस्टर आदि का प्रर्दशन कर दी जा सकती है। जिला निर्वाचन अधिकारी इस विषय में जिले में उपलब्ध इस प्रकार की ऐजन्सियों को चिन्हित कर ई.वी.एम के प्रचार–प्रसार विषय में चलचित्रों का प्रदर्शन, नुक्कड़ नाटक, ड्रामा आदि के माध्यमों से प्रचार प्रसार की कार्यवाही कर सकते हैं। राज्य स्तर पर इस विषय में विभाग द्वारा गत् विधानसभा/लोकसभा आम चुनाव के दौरान भारत सरकार के क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की जिला ईकाइयों का सहयोग लिया गया था तथा इनके द्वारा फील्ड में प्रचार–प्रसार का प्रभावी कार्य किया गया था। प्रस्तावित जागरूकता अभियान के दौरान भी क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की जिला ईकाइयों का सहयोग प्राप्त कर फील्ड में प्रस्तावित जागरूकता अभियान के दौरान कार्यवाही की जा सकती है। इस क्रम में संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है।

6.1 क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की राज्य में 11 ईकाईयॉ कार्यरत है जो राज्य के सभी जिलों को कवर करती है। उक्त प्रचार ईकाइयों के पास डी.वी.डी, प्लेयर आदि

उपलब्ध है। उक्त ईकाइयॉ फील्ड में प्रचार–प्रसार के दौरान चित्र प्रदर्शनी, मौखिक सन्देश, पेम्पलेट्स का विवरण एवं प्रस्तावित प्रायोगिक प्रदर्शन के दौरान अपना सहयोग प्रदान कर सकती है।

6.2 जिला निर्वाचन अधिकारी जिला ईकाइयों के प्रभारी अधिकारी को प्रचार सामग्री यथा सीडी, ई.वी.एम से संबंधित पोस्टर, पेम्पलेट आदि भी उपलब्ध करवाएंगे।

6.3 ई.वी.एम का जीवन्त प्रदर्शन करने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी मतदान केन्द्रवार आयोजित होने वाले शिविरों की तिथियों की जानकारी जिला ईकाइयों को उपलब्ध करायेगे, जिससे वह निर्धारित तिथियों पर प्रशिक्षण शिविर स्थल पर उपस्थित होकर अपना सहयोग प्रदान कर सकें।

6.4 जिला ईकाइयों के प्रभारी अधिकारी द्वारा अभियान की समाप्ति के पश्चात संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी तद्नुसार उक्त रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणी अंकित कर विभाग को प्रेषित करेगें।

6.5 जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिलें में सभी रिटर्निंग अधिकारियो को प्रचार निदेशालय की ईकाईयों द्वारा संचालित किए जाने वाले कार्यक्रम से अवगत कराएगें तथा आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु भी निर्देशित करेंगे।

7. राज्य स्तर से प्रिन्ट/इलक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से ई.वी.एम के प्रचार प्रसार के विषय में कार्य योजना तैयार की जा रही है। इस कार्य योजना की जानकारी यथाशीघ्र आपको उपलब्ध करायी जायेगी। जिला स्तर पर प्रेस नोट आदि जारी कर आम नागरिकों को इसके विषय में जानकारी दी जा सकें।

8. **ई.वी.एम की जागरूकता हेतु नियुक्त किए जाने वाले जिला स्तरीय पर्यवेक्षक :–** राज्य के सभी जिलों में स्वीप कार्य योजना हेतु मुख्य कार्यकारी, जिला परिषद स्वीप कमेटी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। **चूंकि उक्त जागरूकता अभियान भी एक स्वीप गतिविधि है इसलिए इस अभियान का पर्यवेक्षण भी इन्हीं के द्वारा किया जाएगा तथा इनके द्वारा समय–समय पर जिला निर्वाचन अधिकारी को भी अभियान की प्रगति से अवगत कराया जाएगा।**

8.1 उक्त पर्यवेक्षक अभियान के दौरान एवं तुरन्त बाद सम्पूर्ण जिले का भ्रमण करेगें तथा भ्रमण के दौरान मतदाताओं से सम्पर्क कर अभियान के विषय में जानकारी प्राप्त करेगें। यदि पर्यवेक्षक यह महसूस करेगें कि किसी ग्राम विशेष में अभी भी मतदाता को ई.वी.एम की कार्यप्रणाली से अनभिज्ञ है तो ऐसे क्षेत्र में पुनः शिविरों का आयोजन

करवाएगे। इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त **"जागरूकता पर्यवेक्षक"** भी इस अभियान का पर्यवेक्षण करेगे।

9. जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मुख्यालय पर स्थायी रूप से ई.वी.एम. का प्रायोगिक प्रर्दशन हेतु कक्ष स्थापित करेंगे जिससे इन मुख्यालयों पर आने वाले मतदाता आवश्यकता होने पर जानकारी प्राप्त कर सकें।

10. **अभियान हेतु ई.वी.एम. की उपलब्धता** :— जागरूकता अभियान हेतु जिले में समुचित संख्या में ई.वी.एम उपलब्ध है। आयोग के निर्देशानुसार निर्धारित तिथि तक ई.वी.एम. ट्रेकिंग सोफ्टवेयर के माध्यम से ट्रेनिंग एवं प्रशिक्षण हेतु ई.वी.एम. को पृथक कर ली जाए। अभियान में प्रयुक्त होन वाली ई.वी.एम में पुरानी पावरपेक का प्रयोग किया जाए। प्रशिक्षण एवं अभियान के दौरान प्रयोग की गयी सभी ई.वी.एम पृथक से जिला मुख्यालय पर जिला निर्वाचन अधिकारी की अभिरक्षा में सील कर सुरक्षित रखी जाएगी। **जिला निर्वाचन अधिकारी विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ही प्रशिक्षण हेतु ई.वी.एम. आरक्षित रखेंगे। यदि जिले में अतिरिक्त ई.वी.एम. उपलब्ध है तो इन्हें रिजर्व के रूप में सुरक्षित रखा जाए।**

कृपया उपरोक्त दिशा—निर्देश के अनुसार कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अशोक जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः 4(3)(3)/स्वीप/ निर्वा/2013 जयपुर, दिनांकः अक्टूबर, 2013

प्रतिलिपि— निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. श्री अक्षय राउत, महानिदेशक, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. समस्त रिटर्निंग अधिकारी, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
3. संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, प्रादेशिक कार्यालय, राजस्थान, जयपुर को प्रति प्रेषित कर लेख है कि " ई.वी.एम. जागरूकता अभियान" की जानकारी सभी जिला ईकाइयों के प्रभारी अधिकारियों को उपलब्ध करवाएं।
4. राज्य संदर्भ केन्द्र, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण, जयपुर एवं जोधपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर

नमूना

ई.वी.एम. के प्रदर्शन के संबंध में निर्धारित कलैण्डर (6 नवम्बर, 2013 से 20 नवम्बर, 2013 तक)

जिले का नाम ....

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम ....

मतदान केन्द्र की कम संख्या	मतदान केन्द्र का नाम	प्रदर्शन की तिथि
1 से 25		6–7 नवम्बर, 2013 (प्रथम चक्र)
26 से 50		8–9 नवम्बर, 2013 (द्वितीय चक्र)
51 से 75		10–11 नवम्बर, 2013 (तृतीय चक्र)
76 से 100		12–13 नवम्बर, 2013 (चतुर्थ चक्र)
101 से 125		14–15 नवम्बर, 2013 (पंचम चक्र)
126 से 150		16–17 नवम्बर, 2013 (षष्टम चक्र)
151 से 175		18–19 नवम्बर, 2013 (सप्तम चक्र)
176 से 200		20–21 नवम्बर, 2013 (अष्ठम चक्र)

नोट :–

1. उपरोक्त कलैण्डर एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केन्द्रों की संख्या 200 मानकर निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार ई.वी.एम. के प्रदर्शन का कार्य आठ चक्रों में दिनांक 21 नवम्बर, 2013 तक पूर्ण हो जाएगा।
2. संदर्भ अधिकारी प्रत्येक चक्र के बाद यह सुनिश्चित करेगें कि आगामी चक्र में प्रदर्शन हेतु ई.वी.एम. संबंधित बी.एल.ओ. को मतदान केन्द्र विशेष पर प्रदर्शन की तिथि के तुरन्त बाद उपलब्ध करवा दी जाये, जिससे कि आगामी चक्र में उनके द्वारा प्रदर्शन का कार्य किया जा सके।

ई.वी.एम. जागरूकता अभियान के संबंध में संदर्भ अधिकारी द्वारा दिया जाने वाला प्रमाण–पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं .... (नाम व पदनाम) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र .... जो कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र .... में आता है के .... मतदान केन्द्र के लिए "संदर्भ अधिकारी" नियुक्त किया गया है। मैने ई. वी.एम. जागरूकता अभियान हेतु निर्धारित कार्यक्रम के दौरान नीचे वर्णित मतदान केन्द्र/स्थानों पर आम मतदाताओं को इलक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन की कार्य प्रणाली एवं मतदान करने की प्रक्रिया विशेष रूप से **"उपरोक्त में से कोई नहीं"** के प्रावधान के विषय में जानकारी उपलब्ध करवायी है।

उन स्थानों का नाम जहॉ पर इलक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन का प्रयोगिक प्रदर्शन किया गया है।

1.
2.
3.
4.
5.

दिनांक :

संदर्भ अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर